

6 SEP 2015



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान राजस्थान 635040

635040

श्रीरामजी

(1)

विक्रय-पत्र

हीरालाल उम्र 45 साल पुत्र स्व.श्री रामसहाय सैनी जाति माली निवासी
सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला-दौसा -विक्रेता

बहक

श्रीकृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल
सैनी पुत्र स्व.श्री रामसहाय सैनी जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील
सिकराय जिला-दौसा -क्रेता

जो कि ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय में मुझ विक्रेता की खातेदारी
व कब्जे काशत की भूमि आराजी खसरा नम्बर 697 रकबा 01 बीघा 10
विस्वा बारानी भूमि स्थित है। जिसका मुझ विक्रेता द्वारा श्रीमान् उपखण्ड
अधिकारी सिकराय से कृषि से अकृषि औद्योगिक प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण रकबा
01 बीघा 10 विस्वा जिसकी 3793.50 वर्ग मीटर होती है को संपरिवर्तन
आदेश संख्या भू.रू./2015/1897-1902 दिनांक 17.8.2015 को
विधिवत करवा लिया है। जिसका नोट मौजूदा जमाबन्दी के खाता संख्या
637-199 पर नामान्तरकरण संख्या 2326 दिनांक 31.8.2015 भूमि
रूपान्तरण से खसरा नम्बर 697 रकबा 01 बीघा 10 विस्वा की किस्म
बारानी-2 से औद्योगिक दर्ज की गयी है। इस प्रकार उक्त आराजी भूमि
सम्पूर्ण औद्योगिक प्रयोजनार्थ का एक मात्र स्वामी मैं विक्रेता ही हूँ। मेरे
अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य का स्वामित्व अधिपत्य व हिस्सा नहीं है।

लगातार.....2.....

00005



क्र. 1120 30/9/15 25000 x 2 = 50000 प्यास हजार
 1
 हीरालाल उउ सम्मालय मैनी 400 माली 2
 सिङ्गपूर
 विक्री पत्र
 (04/12/94/20)

हीरालाल (प्यास)
 राजेश कुमार शर्मा
 राज्य विक्रेता
 मह-विक्रय (दोसा)

आज दिनांक..... 1 माह 10 वर्ष 15
 सम्रत..... उप पंजीयक सिकन्दर के कार्यालय
 में श्री..... हीरालाल
 पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा प्रति प्राणी
 आनु 45 वर्ष निवासी सिकन्दर
 द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया गया।
 प्रस्तुतकर्ता उप पंजीयक सिकन्दर (दोसा)

हीरालाल (प्यास)

1. पंजीयन शुल्क..... 1112-0 -
2. प्रतिलिपि शुल्क..... 300 -
3. कर्मी मुरात..... 5560 -
4. सरचार्ज..... 5560 -
5. अन्य..... 100 -
6. कुल..... 22640 -
7. र.सं. 99
8. दिनांक..... 1-10-15

उप पंजीयक सिकन्दर



राजस्थान RAJASTHAN

राजस्थान सरकार

635041

:: 2 ::

उक्त भूमि सम्पूर्ण को विक्रय रहन दान स्वरुप हस्तान्तरित करने का विधिक अधिकार मुझ विक्रेता प्राप्त है। उक्त भूमि किस्म से औद्योगिक है जो आबादी ग्राम सिकन्दरा व राष्ट्रीय राजमार्ग-11 से करीबन एक कि.मी. दूर है। जमीन सर्वभार मुक्त है कोई स्थगन आदेश नहीं है।

अब मैं विक्रेता अपनी घरु आवश्यकता की पूर्ति हेतु उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 697 रकबा 01 रकबा 10 विस्वा बारानी औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि सम्पूर्ण (3793.50 वर्ग मीटर सम्पूर्ण) को बिल एवज 2,50,000/-रुपये अक्षरे दो लाख पचौस हजार रुपये में क्रेता श्रीकृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा जरिये अध्यक्ष हीरालाल सैनी पुत्र स्व. श्री रामसहाय सैनी जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला-दौसा को कतई बेच दीनी है और उक्त भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा उक्त क्रेता (शिक्षण संस्था) का मौके पर आगे होकर करवा दीना है।


चूँकि भूमि में शिक्षण संस्था में बच्चों के विकास हेतु विक्रय की है जिसकी विक्रय अल्प राशि प्राप्त की है जो नाम मात्र है।


उक्त क्रेता को यह अधिकार है कि उक्त भूमि सम्पूर्ण पर काबिज रह उपभोग व उपयोग करे तथा राजस्व रिकार्ड नामान्तरकरण, जमाबन्दी वाके ग्राम सिकन्दरा में संस्था के नाम से अमल दरामद करावे।

उक्त क्रेता को यह भी अधिकार है कि उक्त भूमि सम्पूर्ण पर आज से संस्था स्वयं रखे या संस्था के उपभोग व उपयोग में लेवें। उक्त भूमि सम्पूर्ण में बच्चों के हित में कोई भी कार्य विकास करावें। इसमें मुझ विक्रेता को व मेरे समस्त प्रकार के वारिसानों को कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और न ही भविष्य में कोई उज्रदार, हकदार, दावेदार ही पैदा होगा अगर पैदा भी होगा तो वह झूठा होगा।

दि. क्रम नं० $\frac{1120}{2}$ 30/9/15 मूल्य 20000x22 50000 पन्नास आना (व)
 ब्राह्मण कता श्रीरामलाल पुत्र रामरामलाल श्रीनी 400 माली
 विक्रेता श्री. वि. प्र. 21
 विक्रीपत्र
 रकम (20000/1294420)
 विक्रेता के हस्ता. ... खरीदार विक्रेता के हस्ता. ...

श्रीरामलाल


राजेश कुमार शर्मा
 स्टॉम्प विक्रेता
 बहो-विकराय (दोसा)

दस्तावेज प्रस्तुत कताओं श्री श्रीरामलाल
 श्री रामरामलाल जति श्री
 आयु. 45 वर्ष निवासी विक-दश
 ने दस्तावेज विक्रय पत्र का विक्रेता के हस्ता
 स्वीकार/अंगीकार किया एवं रकम 2,50,000/- रुपये लेना स्वीकार किया।

 श्री रामलाल विक्रेता (दोसा)

श्रीरामलाल


अतः मुझ विक्रेता द्वारा उक्त आराजी भूमि सम्पूर्ण का विक्रय कर विक्रय राशि सम्पूर्ण क्रेता से प्राप्त कर उक्त भूमि सम्पूर्ण पर कब्जा क्रेता का करवा कर यह विक्रय पत्र स्टाम्प कीमती 50000/-रूपये पर प्रसन्नचित् स्थिर बुद्धि बिना किसी आग्रह व नाजायज दबाव के लिखवा दिया से प्रमाण रहे समय आवश्यकता पर काम आवें लिखा तारीख 30.9.2015 ई. द्वारा निरंजन देव बोहरा नीति पत्र लेख ला.नं.7 तहसील सिकराय नोट- यह दस्तावेज विक्रेता के कथनानुसार व बताये अनुसार लिखा गया है।

निरंजन देव बोहरा

-निरंजन देव बोहरा-

नि. घूमरी कोठी कैलाई
नं. 7
दिनांक 30/9/15

हस्ताक्षर साक्षी-1

हरि लाल लाल
हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर साक्षी-2

देवीसहाय उम्र 40 साल
पुत्र रामकुंवार सैनी जाति माली
नि.घूमरी कोठी कैलाई

भगवान सहाय उम्र 39 साल
पुत्र रामधन जाति माली
नि. पटवा मौहल्ल सिकन्दरा



देवीसहाय सैनी

भगवान सहाय

यह विक्रय पत्र मुझको स्वीकार है।

हस्ताक्षर क्रेता

हरि लाल लाल

अ. क. सिन्हा
सिकन्दरा (सैनी)

दस्तावेज प्रस्तुत करताओं श्री देवी लक्ष्मी
पुत्र श्री रामचंद्र का जाति मांसी
आयु 40...वर्ष निवासी कल्याण -
व श्री 2. श्री गणेश लक्ष्मी का रामचंद्र मांसी
आयु 39...वर्ष निवासी विक्रमदरा
जानते हैं तथा विनाश करती हैं।

उप-पंजीयक सिकन्दरा (दीसा)

देवी लक्ष्मी



Handwritten signature



आज दिनांक 1-10-15 का पुस्तक सं 1
भाग सं 5 के क्रम सं 900 पृष्ठ सं 100
पर पंजीकृत किया गया एवं फोटो स्टेट की
प्रतिलिपि ऑफिस फाईल क्रम संख्या
पर किया गया।

उप-पंजीयक सिकन्दरा (दीसा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा

संख्या/भूरू/2015/

दिनांक-

संपरिवर्तन आदेश

श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली जाति माली नि० सिकन्दरा तहसील सिकराय के आवेदन पर तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट व ग्राम पंचायत सिकन्दरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी खातेदारी अभिधति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भूराज (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 नियम 9 ए के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-

1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम पिता का नाम श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली
सहित तथा नाम सहित पूरा पता जाति माली नि० सिकन्दरा तहसील सिकराय
 2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या जन जाति का सदस्य है : नहीं
 3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा
(क) ग्राम /ग्राम पंचायत /तहसील का नाम : ग्राम-सिकन्दरा/ग्राम पंचायत सिकन्दरा
तहसील सिकराय
(ख) भूमि का खसरा सं और प्रत्येक खसरा सं. ख.नंबर 697 रकबा 1.10 बीघा
का क्षेत्रफल (हेक्टर)में
(ग) प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये 3793.50 व.मी.
संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में)
- टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये , राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न हे :
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन : **औद्योगिक प्रयोजनार्थ**
(छोडकर)
 5. संदेय प्रमीयर की दर : डीएलसी दर का 5 प्रतिशत
 6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा ई चालान-0007329419 दि० 13.8.2015
द्वारा कराई गई प्रीमियम की रकम रुपान्तरण शुल्क राशि 27,778/- रू० मद
0029 में जमा
 7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती : "निल"
यदि कोई हो की जमा करई गई रकम
 8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज
यदि को हो तो जमा कराई गई रकम : नहीं
 9. क्या आदेश नियमिति करण के लिये नियम
12 के अधिन जारी किया गया है। नोट-निर्माण कार्य स्वीकृति विरुद्ध
करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

2.....

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला-दौसा

- 10-(1) प्रार्थी स्वयं औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई भूमि का संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियमों / नियमों के तहत मानचित्र अनुमोदित करवायेगें ।
- (2) रूपान्तरित की गई भूमि पर इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही आवेदक द्वारा निर्माण कार्य किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त इस रूपान्तरित भूमि अन्य कोई प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा ।
- (3) राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा पुनरीक्षित संपरिवर्तन शुल्क की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य होगा ।
- (4) राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उनकी पालन की जावें ।
11. उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अधिन होगा :-
1. उपरोक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रिमियम धन समपहत हो जायेगा
 3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा
 4. लोक उपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोगविहीत प्राधिकारी में विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा

11
उपखंड अधिकारी
सिकंदरा जिला-दौसा
सिकंदरा

संख्या /भूरू/2015/ 1897-1902

दिनांक : 17/8/15

प्रतिलिपि

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
- 2- तहसीलदार सिकंदरा संदर्भ में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु
- 3- ग्राम पंचायत सिकंदरा तह.सिकंदरा
- 4- हल्का पटवारी सिकंदरा तहसील सिकंदरा
- 5- आवेदक श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली जाति माली नि० सिकंदरा तहसील सिकंदरा
- 6- तहसील राजस्व लेखाकार तह० सिकंदरा
- 7- कार्यालय प्रति

उपखंड अधिकारी
सिकंदरा जिला-दौसा
सिकंदरा

संहणा /

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सिकराय जिला दौसा

संख्या/भूरू/2015/

दिनांक-

संपरिवर्तन आदेश

श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली जाति माली नि० सिकन्दरा तहसील सिकराय के आवेदन पर तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट व ग्राम पंचायत सिकन्दरा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भूराज (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 नियम 9 ए के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है-

1. आवेदन खातेदार अभिधारी का नाम पिता का नाम श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली
सहित तथा नाम सहित पूरा पता जाति माली नि० सिकन्दरा तहसील सिकराय

2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या जन जाति का सदस्य है : नहीं

3. संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा

(क) ग्राम /ग्राम पंचायत /तहसील का नाम : ग्राम-सिकन्दरा/ग्राम पंचायत सिकन्दरा
तहसील सिकराय

(ख) भूमि का खसरा सं और प्रत्येक खसरा सं. ख.नंबर 697 रकबा 1.10 बीघा
का क्षेत्रफल (हेक्टर)में

(ग) प्रत्येक खसरा सं. के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये 3793.50 व.मी.
संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टर या वर्ग मीटर में)

टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुये , राजस्व नक्शे के सुसंगत
भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न हे :

4. संपरिवर्तन का प्रयोजन : औद्योगिक प्रयोजनार्थ
(छोडकर)

5. संदेय प्रमीयर की दर डीएलसी दर का 5 प्रतिशत

6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा ई चालान-0007329419 दि० 13.8.2015
द्वारा कराई गई प्रीमियम की रकम रूपान्तरण शुल्क राशि 27,778/- रू० मद
0029 में जमा

7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ती : "निल"
यदि कोई हो की जमा करई गई रकम

8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज
यदि को हो तो जमा कराई गई रकम : नहीं

9. क्या आदेश नियमिति करण के लिये नियम
12 के अधिन जारी किया गया है।

नोट-निर्माण कार्य स्वीकृति विरुद्ध
करने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

2

उप खण्ड
सिकन्दरा तहसील

सिकन्दरा तहसील

- 10-(1) प्रार्थी स्वयं औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई भूमि का संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियमों / नियमों के तहत मानचित्र अनुमोदित करवायेगें ।
- (2) रूपान्तरित की गई भूमि पर इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमानुसार निर्धारित दूरी छोड़कर ही आवेदक द्वारा निर्माण कार्य किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त इस रूपान्तरित भूमि अन्य कोई प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा ।
- (3) राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा पुनरीक्षित संपरिवर्तन शुल्क की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य होगा ।
- (4) राजस्व विभाग द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उनकी पालन की जावें ।
11. उपरोक्त संपरिवर्तन आदेश निम्न लिखित शर्तों के अधिन होगा :-
1. उपरोक्त अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
 2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रिमियम धन समपहत हो जायेगा
 3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा
 4. लोक उपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोगविहित प्राधिकारी में विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा

सुपरवाइजर
उपखंड अधिकारी
सिकंदरा जिला-दौसा
सिकंदरा

संख्या / भूरू / 2015 / 1897-1902

दिनांक : 17/8/15


प्रतिलिपि

1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. तहसीलदार सिकंदरा संदर्भ में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु
3. ग्राम पंचायत सिकंदरा तह.सिकंदरा
4. हल्का पटवारी सिकंदरा तहसील सिकंदरा
5. आवेदक श्री हीरालाल पुत्र रामसहाय माली जाति माली नि० सिकंदरा तहसील सिकंदरा
6. तहसील राजस्व लेखाकार तह० सिकंदरा
7. कार्यालय प्रति

सुपरवाइजर
उपखंड अधिकारी
सिकंदरा जिला-दौसा
सिकंदरा

सहणा /

3.



1. 1000 रु. 10/10/07
 2. 1000 रु. 10/10/07
 3. 1000 रु. 10/10/07
 4. 1000 रु. 10/10/07
 5. 1000 रु. 10/10/07
 6. 1000 रु. 10/10/07

2
 अथ पञ्जीरक
 सिकन्दरा (दीसा)

नम्बर रसीद संख्या.....

(यह प्रति लेख्य-पत्र पेश करने वाले आवेदन पत्र पेश करने वाले अपने पास रहने देंगे)

(प्राप्त हुई फीस के लिए रसीद)

1. पेश करने वाले या आवेदन-पत्र देने वाले का नाम दीरा (जा ल) क
2. लेख्य-पत्र की किस्म दास्तावेज (जा) शिक-415
3. विवरण फीस जो प्राप्त हुई 66.600
4. प्रतिफल की रकम रुपये पैसे
- क. फीस रजिस्ट्री : 11,12,110
- (1) साधारण फीस रजिस्ट्री 11120-
- (2) लेख्य-पत्र की पुस्तक में प्रतिलिपि करने की फीस 300-
- (3) धारा 64 से 67 के अनुसार ज्ञापन जारी करने की फीस 5560-
- ख. धारा 57 के अनुसार प्रार्थियों के प्रविष्टि लेखों की प्रतिलिपि देने की फीस 50-00 5560-
- ग. विविध फीस : 100-
- (1) साधारण अथवा विशेष अधिकार-पत्र प्रमाणिकरण फीस 1230
- (2) धारा 62 के अनुसार अनुवाद प्रस्तुत करने की फीस
- (3) धारा 25 व 34 के अनुसार देर से लेख्य-पत्र प्रस्तुत होने अथवा सम्पादनकर्ता इत्यादि के उपस्थित होने के कारण चुकाई हुई फीस
- (4) कमीशन तथा घर पर जाने की फीस तथा भत्ता
- (5) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने पर अतिरिक्त फीस
- (6) संरक्षण फीस
- (7) मोहरबंद लिफाफे (जिसमें वसीयत पत्र रखा हो) को अमानत रखने, वापिस लेने अथवा खोलने की फीस
- (8) पुस्तक के निरीक्षण अथवा तलाशी की फीस
- (9) अन्य विविध प्रकार की आय (जिसमें रद्दी पदार्थों की बिक्री इत्यादि की आय सम्मिलित है)

योग फीस

22640-


फीस के प्राप्त होने की तारीख 1-10-15

लेख्य-पत्र या प्रतिलिपि तलाश सर्टिफिकेट पाने के कर्ताक्षर और लौटाये जाने या पाने की तारीख

रजिस्ट्री करने वाले अफसर के हस्ताक्षर

IT १०५

महाराष्ट्र



राज्य प्रशासकी

२०१
२०१७/१८


३५
२०१८
२०१९

उपखण्ड आधिकारी
सिद्धपुर जिला-दौसा

२३



गणेशाय नमः



IT 003

सत्य प्रोत्पत्ति

BS
2/1/2015
पुणे

प. वि. म. म. म.
07/7/15

उपखण्ड अधिकारी
सिद्धापूर जिला-दोसा

राजस्थान सरकार

प्रारूप 'घ'

(देखिये नियम 10(4))

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा— 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(19)2015/ 194

दिनांक: 12.1.2016

—:: पुनरीक्षित संपरिवर्तन आदेश ::—

आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा जिला दौसा के आवेदन पर, पहले से कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित 9737 वर्गमीटर कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम -2007 के नियम 10(4) के अधीन इसके द्वारा पुनरीक्षित अकृषिक संस्थानिक (institutional) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार है :-

1. आवेदक का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता :-	श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा जिला दौसा
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनु0जनजाति का सदस्य है :-	नहीं
3. आदेश सं. तथा तारीख उपदर्शित करते हुए मूल संपरिवर्तन का प्रयोजन : या आदेश की तारीख ओर सं. उपदर्शित करते हुए प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवंटित/रूपान्तरण की गई थी :	प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सिकराय के आदेश क्रमांक 405-11 दिनांक 13.5.2013 के द्वारा ख0नं0 678 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि तथा आदेश क्रमांक भू.रू./2015/1896-1902 दिनांक 17.8.2015 के द्वारा खसरा नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की गई थी।
4. संपरिवर्तन का पुनरीक्षित प्रयोजन :	संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ।
5. संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा :- (क) ग्राम/ग्रा.प./तहसील का नाम: (ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(हेक्टेयर या वर्गमीटर में) : टिप्पणी : अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है :	ग्राम सिकन्दरा, ग्राम पंचायत सिकन्दरा तहसील सिकराय ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा ख0नं0 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर ख.नं. 692 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा ख0नं0 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न है
6. मूल संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :-	आदेश क्रमांक 405-11 दिनांक 13.5.2013 के द्वारा 12.11 रु. प्रति वर्गमीटर एवं आदेश क्रमांक भू.रू./2015/1896-1902 दिनांक 17.8.2015 के द्वारा 7.3225 रूपये प्रति वर्गमीटर
7. मूल आवेदन के साथ जमा कराई गई प्रीमियम की रकम चालान की संख्या तथा तारीख सहित	चालान नं. दिनांक राशि रूपये 12 25.4.2013 72660-00 0007329419 13.8.2015 27778-00
8. पुनरीक्षित संपरिवर्तन पर संदेय प्रीमियम की दर :	9737 व.मी. का संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजनार्थ रूपांतरण शुल्क डीएलसी दर का 10 प्रतिशत से 14.64 रु0 प्रति वर्गमीटर की दर से 142593/-रूपये
9. चालान की संख्या तथा तारीख सहित प्रीमियम के अन्तर्गत जमा कराई गई रकम :	1. मद 0029 भू-राजस्व : चालान नं. दिनांक राशि रूपये 0009016490 5.1.2016 42155-00 0007329419 13.8.2015 27778-00

10. चालान सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :	जमा कराई गई शास्ति चालान संख्या दिनांक राशि — — —
11. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम :	—

(12) अन्य विशिष्टियाँ यदि कोई हो :-

1. प्रार्थी स्वयं संबंधित ग्राम पंचायत से संबंधित अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत मानचित्र अनुमोदित करवायेगा।
2. प्रस्तावित भूमि एस.एच.-25 से मोतीपुरा ग्रामीण सड़क के मध्य से 13 मीटर की दूरी पर स्थित है किन्तु बिल्डिंग लाईन हेतु 20 मीटर छोड़कर पुख्ता निर्माण किया जायेगा तथा इण्डियन रोड कांग्रेस के नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी।
3. आवेदक को राजस्व(ग्रुप-6)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प-6(6)राज-6/92-पार्ट/23 दिनांक 17.7.2007 के अनुसार कुल संपरिवर्तन क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये छोड़ना होगा तथा पानी, बिजली की आधारभूत सुविधाओं की स्वयं के खर्चे पर व्यवस्था करनी होगी।
4. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन शुल्क के निर्धारण या गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिये सदैव बाध्य रहेगा।
5. राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, उनकी पालना की जावेगी।

(13) उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
4. संस्थानिक (institutional purpose) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

जिला कलेक्टर, दौसा
(विहित प्राधिकृत अधिकारी)
दिनांक: 12.1.2016

क्रमांक:- आर18बी(भू0रू0)(19)2015/195-202


प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर संभाग जयपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी, सिकराय।
3. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा कलेक्ट्रेट दौसा।
4. तहसीलदार, सिकराय को मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
5. सरपंच ग्राम पंचायत सिकन्दरा पंचायत समिति सिकराय।
6. पटवारी हल्का सिकन्दरा तहसील सिकराय।
7. आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व० रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा।
8. गार्ड फाईल।

जिला कलेक्टर,
दौसा

नवदीर्घ

16
ग्राम-सिकन्दरा
तह-सिकन्दरा
दौसा



हस्ताक्षर

5/11/16

C.S.

तहसीलदार, सिकराय
जिला-दौसा

कार्यालय जिला कलक्टर, दौसा

इस कार्यालय के आदेश पत्र क्रमांक: आर18बी(भू0रू0)(19)2015/194-202 दिनांक 12.1.2016 के द्वारा ग्राम सिकन्दरा तहसील सिकराय स्थित खसरा नम्बर 697 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 694 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 692 रकबा 1 बीघा ख0नं0 696 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा = 9737 वर्गमीटर भूमि को राज0 भू-राजस्व(ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम 2007 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ से संस्थानिक (शिक्षण संस्थान हेतु) प्रयोजनार्थ आवेदक संस्था श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल शिक्षण संस्थान सिकन्दरा तहसील सिकराय के पक्ष में जरिये अध्यक्ष हीरालाल पुत्र स्व0 रामसहाय सैनी निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय रूपान्तरण किया गया।

अति० जिला कलक्टर
दौसा